न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

द्वितीय अपील सख्याः 896/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00779)

1. मालाराम पुत्र श्री हनुमानाराम, जाति जाट, उम्र 77 वर्ष, निवासी चारण की ढ़ाणी, तन परसारामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 18.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 09.10.2020 (प्रकरण संख्या 178/2020) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पुराने खसरा नम्बर 2063 या 1644 या 5192/3361 कभी भी राजस्व अभिलेखो में तथाकथित रूप से लिए गए आक्षेप के अनुसार किस्म जमीन गैरमुमकिन नदी नहीं रहे और उक्त आराजी व्यक्तिगत रूप से राजस्व अभिलेखो में नामित व्यक्तियों की खातेदारी में रही, बिना किसी आधार के तत्पश्चात् मिलीभगत से साजिशाना व दुर्भावना से हाल खसरा नम्बर 2722 की किस्म जमीन गैरमुमकिन नदी दर्शाना बताकर समस्त कार्यवाहियां की गई, जो कि न केवल राजस्व अभिलेखो के विरूद्ध भी है, बल्कि गैरकानूनी व मनमानी भी है और किस्म जमीन गैरमुमकिन नहीं मानी जाकर जो कार्यवाही बेदखली की गई है, वह सम्पूर्ण रूप से मय प्रथम अपील आदेश काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने राजस्व अभिलेखो में दर्ज खातेदारान् में से जयसिंह पुत्र जोधसिंह (खातेदार ठिकानेदार) से उसके हिस्से तक की आराजी 20,000/– रूपये देकर दिनांक 11.02.1979 को क्रय कर ली और अपीलार्थी जो कि फौजी रहा, अपनी तनख्वाह में से उक्त प्रतिफल का भुगतान किया और तदानुसार काबिज आराजी हुआ, अपीलार्थी तदानुसार आराजी का स्वामी काबिज काश्त बना और अपीलार्थी कभी भी सरकारी जमीन या गैरमुमकिन नदी की जमीन जिसे तहसीलदार ने बाद में सिवायचक तक कहा, अतिक्रमी नहीं रहा और जो आक्षेप अपीलार्थी पर अनाधिकृत कब्जे या अतिक्रमण के लगाये गये है, वह ना केवल राजस्व अभिलेखो के विपरित है, बल्कि सरासर झूठे व दुर्भावना पर आधारित है और उक्त आक्षेपो के अनुसार जो कार्यवाही धारा 91 अधिनियम 1956 की, की गई और जो बेदखली का आक्षेपित आदेश दिनांक 31.01.2020 व प्रथम अपील का आदेश दिनांक 09.10.2020 पारित किया गया है, वह समस्त काबिले खारिज है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जो कार्यवाही धारा 91 अधिनियम 1956 के तहत हाल ही में दुबारा की गई, जिसके तहत आलोच्य आदेश पारित किए गए, उससे पूर्व वर्ष 2011 में भी तहसीलदार नवलगढ़ ने बेदखली के आदेश अन्तर्गत धारा 91 पारित किये और अपीलार्थी को 500 वर्गमीटर पर अतिक्रमी बताया गया, जबकि अपीलार्थी का कब्जा विधिक होकर कानूनन रहा, तहसीलदार ने पूर्व बेदखली का आदेश नोटिस बाबत 500 वर्गमीटर के तहत दिनांक 19.09.2011 को पारित किया, अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरूद्ध प्रथम अपील जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत की, पर उक्त प्रथम अपील भी दिनांक 08.11.2011 को खारिज फरमा दी गई तत्पश्चात् अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 09.04.2018 से खारिज की गई तो अपीलार्थी ने उक्त आदेशो व पूर्व में की गई उक्त कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 को राजस्व मण्डल के समक्ष चुनौती दे रखी है और आज भी उक्त अपील/निगरानी जैरकार है, चूंकि उसी आराजी व भू–भाग के संबंध में पुनः मौजूदा कार्यवाही अमल में लायी गई, जो न केवल गैरकानूनी है, बल्कि पोषणीय भी नहीं है और समस्त कार्यवाहियां मिलीभगत से राजनैतिक लोगों की शह पर की जा रही है और अपीलार्थी के बेदखली के आलोच्य आदेश पत्रावली के विपरीत अविधिक तरीके से तथ्यों व साक्ष्यो के विरूद्ध पारित किये हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पर सद्भाविक कब्जे का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, वह किस्म जमीन विवादित हो जाती है, वहां साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् ही किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किया जा सकता है, सरसरी तौर पर सदभाविक क्रेता एवं काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व आदेश पारित करने में उक्त सिद्धान्त की घोरतम भूल कारित की गई है, जो गम्भीर विधि की त्रुटि होने के कारण आक्षेपित आदेश काबिले खारिज है। उन्होने यह भी कथन किया कि तहसीलदार एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 2722 के पुराने खसरा नम्बर 5192/3361 के भी पुराने खसरा नम्बर 1644 सम्वत् 2016 से सम्वत् 2038 के उपलब्ध रिकार्ड को अनदेखा कर आक्षेपित आदेश पारित किए है जबकि उक्त रिकार्ड को देखने से साफ जाहिर है कि सम्वत् 2016 से सम्वत् 2038 तक उक्त आराजीयात् आस कंवर बेवा बगन सिंह हिस्सा 1/5, किशन सिंह, मूल सिहं, उम्मेद सिंह, जयसिंह, जोधसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज रही, ऐसी सूरत में विचारण न्यायालय एंव अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह कतई विचारण नहीं किया गया कि सम्वत् 2016 से सम्वत् 2038 तक जो आराजीयात् खातेदार आस कंवर, किशन सिंह, मूल सिहं, उम्मेद सिंह, जयसिंह, जोधसिंह की राजस्व रिकार्ड में रही, वह अचानक गैरमुमकिन नदी के रूप में सम्वत् 2038 के बाद कैसे हो गई, ना ही इस बाबत् किसी प्रकार का कोई अभिमत विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णयों में पारित किया गया एवं इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश घोरतम विधि की भूल कारित करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 09.10.2020 पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 09.10.2020 एवं तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अतिक्रमण की गई भूमि की वर्तमान किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजकीय भूमि है, अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की गई जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी वह अपील भी खारिज की गयी है। ऐसे में अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की किस्म वर्तमान में गैरमुमकिन नदी है यदपि वादग्रस्त भूमि बाबत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के यहॉ विचाराधीन होने का तथ्य भी सामने आया है किन्तु अपीलान्ट के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में किस्म नदी ना हो जिससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी की किस्म वर्तमान में गैर मुमकिन नदी है जो राजकीय है एवं प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार व्यास)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।